एकात्म भारत के लिए
सुचेन्द्र मिश्रा द्वारा प्रकाशित

एकात्म भारत

जो एकात्म है वही भारत है

कार्तिक शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा
मंगलवार विक्रम संवत् 2076

गुरु नानक देव जयंती की शुभकामनाएं

12 नवंबर 2019, इंदौर

e-paper : www.ekatmabharat.com

राम लला की खबर पढ़ने के लिए पत्रकार ने उतारीं चप्पल

दिल्ली

राम जन्मभूमि निर्णय के दौरान एक न्यूज एंकर अलग ही मिसाल प्रस्तुत की है। कन्नड न्यूज चैनल की चीफ एंकर रंगनाथ ने अयोध्या मामले पर सुनवाई की खबरें देते समय चप्पल उतार दी और नंगे पैर ही चैनल पर नजर आए। यह मामला सोशल मीडिया पर चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को अयोध्या विवाद पर ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। इसके समाचार न्यूज चैनल पर आ रहे थे। एंकर्स अपने-अपने तरीके से ये खबर जनता तक पहुंचा रहे थे। इस बीच रंगनाथ की तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें वह नंगे पैर राम मंदिर की खबरें पढ़ते दिख रहे हैं। भाजपा के नेशनल सेक्रेट्री बीएल सिंघल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इसे शेयर किया है। इसके साथ उन्होंने लिखा कन्नड़ न्यूज चैनल पब्लिक टीवी के चीफ एंकर रंगनाथ ने अयोध्या मामले पर सुनवाई की खबरें देते समय चप्पल उतार दी और नंगे पैर ही चैनल पर नजर आए। यह आस्था और भावनाएं हैं जो श्रीराम से जुड़ी हैं, लेकिन काम में भी बाधाएं नहीं डालतीं। लोग इस बात से हैरान हैं कि आज के समय में लोग इस तरह की आस्था रखते हैं।

राम मंदिर ट्रस्ट के जरिए होगा हिन्दू एकता का प्रयास

कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के हिन्दू संत लिए जा सकते हैं राम मंदिर ट्रस्ट में

नई दिल्ली

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए बनाए जाने वाले ट्रस्ट को व्यापक रूप देकर सरकार सामाजिक सद्भाव और सौहार्द का नया संदेश देना चाहती है। ट्रस्ट में देशभर के प्रमुख संतों के साथ दक्षिण भारत का भी खास प्रतिनिधित्व होगा। हालांकि विश्व हिंदू परिषद इसे धार्मिक व्यवस्थाओं के अनुरूप चाहती है। वह इसमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं चाहती है। उसका मानना है कि ट्रस्ट में वैष्णव हिंदुओं को ही रखा जाए और रामजन्मभूमि न्यास के मंदिर के नक्शे के मुताबिक ही निर्माण किया जाए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल द्वारा रविवार को बुलाई सभी धर्मगुरुओं के साथ बैठक को ट्रस्ट निर्माण दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें सरकार ने फैसले को लेकर विभिन्न धर्मगुरुओं की राय हासिल की।

सरकार चाहती है कि वह उच्चतम न्यायालय के आदेश के मद्देनजर फैसले को लेकर देश में जिस तरह का सद्भाव दिखा, वह आने वाले समय में बना रहे। सूत्रों के अनुसार भावी ट्रस्ट में राम जन्मभूमि न्यास से कुछ लोगों को ही लिया जाएगा। सरकार की कोशिश ट्रस्ट को ऐसा स्वरूप देने की है, जिसमें राष्ट्र

एकजुट दिखे और राम मंदिर धार्मिक मुद्दों से ऊपर राष्ट्रमंदिर के रूप में सामने आए। ऐसे में उत्तर भारत के प्रमुख संतों के साथ दक्षिण के प्रमुख संत कांची कामकोटि मठ के शंकराचार्य, उडुपी मठ के स्वामी आदि को शामिल किया जा सकता है। श्री श्री रविशंकर, बाबा रामदेव जैसे विशिष्ट लोगों को शामिल करने पर भी विचार किया जा सकता है। विहिप ट्रस्ट में आंदोलन से जुड़े संतों के पक्ष में

हालांकि विश्व हिंदू परिषद इस तरह की कोशिशों के पक्ष में नहीं है। विहिप से वरिष्ठ नेता चंपत राय का कहना है कि ट्रस्ट गठन सरकार को करना है, लेकिन अयोध्या वैष्णव संप्रदाय की अनुगामी है इसलिए इसमें उन लोगों को ही रखा जाए जो वैष्णव, रामनंदाचार्य की परंपरा और ईश्वर के सगुण रूप को मानते हों और मंदिर निर्माण आंदोलन से जुड़े भी रहे हों।

निगुर्ण रूप के मानने वालों व गैर हिंदुओं को इसमें ना रखा जाए। ऐसे लोगों को शामिल करने से नया विवाद खड़ा हो सकता है। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य और शैव मतावलंबी पर कोई मतभेद नहीं है वे हिंदू सगुण परंपरा के हिस्सा हैं। विहिप का यह भी मानना है कि इसमें कोई वंश परंपरा न हो। पुजारियों की परंपरा बद्रीनारायण मंदिर की तरह हो। किसी एक परिवार का अधिकार ना हो। ट्रस्ट में सरकार का कोई औचित्य नहीं है अलबत्ता प्रशासनिक अधिकारी पदेन हो सकते हैं।

मंदिर निर्माण का राजनीतिक लाभ भाजपा को मिलेगा। मंदिर आंदोलन का दक्षिण भारत में भी काफी प्रभाव रहा। खासकर कर्नाटक में जहां भाजपा की राजनीतिक जमीन को मजबूती देने में इस आंदोलन का अहम स्थान रहा। अब भाजपा इसे तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में भी पहुंचाना चाहती है। तमिलनाडु में सशक्त क्षेत्रीय नेतृत्व के अभाव में लगभग डेढ़ साल बाद होने वाले चुनाव में भाजपा के लिए जमीन बन सकती है, वहीं केरल में वह व्यापक हिंदू समर्थन भी हासिल कर सकती है।

केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार राम जन्मभूमि मामले में मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और कुछ अधिकारियों की टीम अदालत के फैसले का विस्तृत अध्ययन कर रही है। न्यास के गठन पर विधि मंत्रालय और अटॉर्नी जनरल की राय ली जाएगी। यह ट्रस्ट ही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की रूपरेखा तैयार करेगा। एक अन्य अधिकारी के मुताबिक अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए बनाए गए ट्रस्ट की नोडल इकाई गृह मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय होगा।

वो सिख जिसने 161 साल पहले अयोध्या में की थी रामलला की पूजा

अयोध्या

सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोध्या भूमि विवाद पर दिए गए ऐतिहासिक निर्णय में रामलला विराजमान को पूरी विवादित जमीन सौंप दी गई है। इस निर्णय में सिख गुरुओं और उनके अनुयायियों का भी उल्लेखन किया गया है। गुरू नानक देव जी स्वयं भी अयोध्या की यात्रा पर गए थे। इस बात की गवाही राजेन्द्र सिंह ने कोर्ट में दी थी। उनके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय में 161 साल पहले अयोध्या में दर्ज एक केस का भी हवाला दिया है। जिसमें एक सिख द्वारा विवादित स्थल पर पूजा किए जाने का उल्लेख भी है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पृष्ठ संख्या 799 में 'मस्जिद परिसर से निहंग सिंह फकीर का सबूत' नामक उप शीर्षक को लिखा किया गया है। जिसमें कहा है कि 28 नवंबर 1858 को अयोध्या के तत्कालीन थानेदार थानेदार शीतल दुबे ने एक आवेदन दायर किया जिसमें कहा गया था कि पंजाब के रहने वाले निहंग सिंह फकीर खालसा ने मस्जिद परिसर के भीतर गुरु गोविंद सिंह के हवन और पूजा का आयोजन किया और परिसर के भीतर श्री भगवान का प्रतीक बनाया। 30 नवंबर 1858 को बाबरी मस्जिद के मोअज्जिन सैयद मोहम्मद खतीब ने स्टेशन हाउस ऑफिसर के समक्ष केस संख्या 884 को दर्ज कराया। जिसमें कहा गया कि निहंग सिख द्वारा मस्जिद परिसर में स्थापित निशान को हटाया जाए।

खतीब ने शिकायत कि निहंग सिंह मस्जिद में दंगा पैदा कर रहे थे। उन्होंने मस्जिद के अंदर जबरन चबूतरा बनाया था, मस्जिद के अंदर मूर्ति रखी, आग जलाई और पूजा की। उन्होंने मस्जिद की दीवारों पर कोयले के साथ राम राम शब्द लिखे। मस्जिद मुसलमानों की पूजा का स्थान है, न कि हिंदुओं का। अगर कोई इसके अंदर जबरन किसी चीज का निर्माण करता है, तो उसे दंडित किया जाना चाहिए। इससे पहले भी बैरागियों ने लगभग 22.83 सेंटीमीटर के रामचबूतरा का निर्माण रातोंरात किया था, जब तक कि निषेधाज्ञा आदेश जारी नहीं किए गए थे। आवेदन में कहा गया है कि स्पष्ट रूप से जन्मस्थान का प्रतीक वहां था और हिंदुओं ने वहां पूजा की थी।